International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत में न्यायिक सक्रियता : एक संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. रमेशी मीना,

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान,

एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान

Email id- rameshimeenalec@gmail.com

परिचय :-

न्यायिक सक्रियता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका है। दूसरे शब्दों में, यह न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने की भूमिका है। न्यायपालिका किसी देश में नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और देश की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। इसमें कभी-कभी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना शामिल होता है। हमें पता होना चाहिए कि न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता का एक गंभीर रूप है। न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती के प्रयासों के कारण न्यायिक सक्रियता को न्याय तक पहुंच को उदार बनाने और वंचित समूहों को राहत देने में सफलता के रूप में देखा जाता है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी न्यायिक सक्रियता को "न्यायिक दर्शन के रूप में परिभाषित करती है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक मिसालों से हटने के लिए प्रेरित करती है।" जब भी न्यायिक सक्रियता पर चर्चा होती है तो जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा की चर्चा अवश्य होती है

भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय न्यायपालिका काफी हद तक निष्क्रिय थी। इसकी बहुत सीमित भूमिका थी समय के साथ, न्यायपालिका ने अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया, विशेषकर 1970 और 1980 के दशक के दौरान। 1970 के दशक में, कई न्यायाधीशों ने कानून और सार्वजनिक नीति को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्यापक रूप से व्याख्या करना शुरू किया। इसने मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

महत्व दिया। जनहित याचिका (पीआईएल) 1980 के दशक में शुरू की गई थी। इससे लोगों को उन लोगों की ओर से अदालत में जाने की इजाजत मिल गई जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का मामला है। इस मामले में निर्णय, भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तब से, भारतीय न्यायपालिका कानून और सार्वजनिक नीति को आकार देने में सक्रिय हो गई है। भारत में न्यायिक सक्रियता एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक सक्रियता ने भारत में कानून और सार्वजनिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास की कुछ प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं:- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केश मे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति दी, 1980 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आदेश दिया, 1993 में नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, 2002 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी की सफाई का आदेश दिया, 2012 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का आदेश दिया इत्यादि।

भारत में न्यायिक सक्रियता के तरीके :-

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से :- न्यायिक समीक्षा वह सिद्धांत है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा की जाती है। न्यायिक समीक्षा आधुनिक सरकारी व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन का एक उदाहरण है। न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति देती है और यदि ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत पाया जाता है तो न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

जनहित याचिका के माध्यम से :- जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की सुरक्षा के लिये अदालत में दायर एक मुकदमा। जनहित याचिका के कारण भारत में न्यायिक सक्रियता को महत्त्व मिला। इसे किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में शुरू में समाज के वंचित वर्ग,जो गरीबी और अज्ञानता के कारण न्यायालयों से न्याय मांगने की स्थिति में नहीं थे, की स्थिति में सुधार लाने के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

लिये जनहित याचिका का सहारा लिया गया था। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर ने देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के इस रास्ते को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से :- संवैधानिक व्याख्या, विवादों को हल करने का प्रयास करने वाले लोगों के लिये उपलब्ध संविधान व्याख्या के संभावित स्रोतों में सामान्य सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ सहित संविधान का पाठ, इसका "मूल इतिहास" शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय विधियों तक पहुँच के माध्यम से :- संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय अपने निर्णयों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लेख करता है। यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा संदर्भित किया जाता है। उदाहरण: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीजा घोष बनाम भारत संघ मामले में विकलांग व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के अधिकारों की पुष्टि की। न्यायालय ने संधि के कानून, 1963 पर वियना कन्वेंशन को रेखांकित किया, जिसके लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने हेतु भारत के आंतरिक कानून की आवश्यकता है।

भारत में न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

न्यायिक सक्रियता के कुछ लाभों व महत्व में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- **न्यायिक सक्रियता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि लोगों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए।**
- **यह भेदभाव और अनुचित व्यवहार को रोकने में मदद करता है, सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है।**
- **न्यायिक सक्रियता अदालत को नई चुनौतियों का समाधान करने की अनुमति देती है। यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों को अनुकूलित करने में मदद करता है।**
- **यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकता है।**
- **न्यायिक सक्रियता सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून का पालन करे और व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करे।**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- **न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में निर्णय लेने की अनुमति देती है, जिससे सामाजिक इंजीनियरिंग में मदद मिलती है।**
- **आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायिक सक्रियता संवैधानिक सीमाओं को लागू करके विधायी दुस्साहस और कार्यकारी अत्याचार को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या विस्तार में मदद करती है। जहां विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, जैसे सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहती है, वहां न्यायिक सक्रियता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**
- **विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अपने-अपने कार्यों का निर्वहन करने में विफलता के परिणामस्वरूप नागरिकों में संविधान और लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम होता है। न्यायिक सक्रियता संविधान और न्यायिक अंगों में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और पीड़ित जनता को सामाजिक न्याय दिलाने में मदद करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता विधायी रिक्तता को भरती है, अर्थात ऐसे क्षेत्र, जहाँ उचित कानून का अभाव है। इससे देश को बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।**
- **'त्रिशंकु' विधायिका की स्थिति में, जब सरकार कमजोर और असुरक्षित हो, न्यायिक सक्रियता सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**
- **कभी-कभी राजनेता सत्ता खोने के डर से ईमानदार और कठोर निर्णय लेने से डरते हैं। न्यायिक सक्रियता ऐसी सक्रिय राजनीतिक खामियों को दूर करने में मदद करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सुशासन में सहायता करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता कभी-कभी विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों को संतुलित करने में मदद करती है।**
- **न्यायिक सक्रियता आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में व्याख्या के मानक नियमों का विस्तार करके देश की उन्नति और लोकतंत्र को कायम रखने में न्यायपालिका की भागीदारी की अनुमति देती है।**

भारत में न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क

न्यायिक सक्रियता के कुछ नुकसानों व हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- **न्यायाधीश अपनी भूमिका से आगे बढ़ सकते हैं और कानून के बजाय व्यक्तिगत राय के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।**
- **न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय न्यायाधीशों को निर्णय लेने की अनुमति देता है।**
- **कुछ लोगों का मानना है कि न्यायाधीशों को कानूनों और संविधान के मूल अर्थ पर बारीकी से कायम रहना चाहिए। सक्रियता के परिणामस्वरूप उचित जांच और संतुलन के बिना निर्णय हो सकते हैं।**
- **न्यायिक सक्रियता से विधायी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। नीतिगत मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप संभावित रूप से प्रभावी शासन में बाधा डालता है।**
- **जब न्यायाधीश सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो उनके निर्णयों में असंगति का खतरा रहता है। विभिन्न न्यायाधीश कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं।**
- **सबसे पहले, जब यह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने की अपनी शक्ति से आगे निकल जाता है। एक तरह से, यह सरकार के कामकाज को सीमित करता है।**
- **यह किसी भी मौजूदा कानून को दरकिनार करके संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति की सीमा का स्पष्ट उल्लंघन करता है।**
- **किसी भी मामले में एक बार न्यायाधीशों द्वारा ली गई न्यायिक राय अन्य मामलों पर निर्णय देने के लिए मानक बन जाती है।**
- **न्यायिक सक्रियता आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि निर्णय व्यक्तिगत या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रभावित हो सकता है।**
- **अदालतों के बार-बार हस्तक्षेप से सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है।**

निष्कर्ष:

भारत में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता, विशेष रूप से जनहित याचिका के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को बहाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के पक्ष में काम किया है और नागरिक न्यायपालिका

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की संस्था का बहुत सम्मान करते हैं। हालाँकि लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और सरकार के तीनों अंगों की वैधता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। यह तभी संभव हो सकता है जब कार्यपालिका और विधायिका चौकस और क्रियाशील हों। साथ ही न्यायपालिका को उन गतिविधियों के क्षेत्रों में कदम रखने से सावधान रहना चाहिये जो इससे संबंधित नहीं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. **गैना, सी.बी. 'तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001**
2. **कश्यप, डॉ. सुभाष एवं गुप्ता, विश्वप्रकाश, "राजनीति कोश', राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1971**
3. **लॉस्की हेराल्ड, "राजनीतिक प्रवेशिका", मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री रास्ता, साहित्य मण्डल, दिल्ली, 2000**
4. **लोढ़ा, गुमानमलः 'न्यायिक क्रान्ति के बदलते आयाम, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन", सेक्टर-1, ब्लॉक डी.डी. 34, साइट लेक सिटी, कलकत्ता, 1986**
5. **पाण्डेय डॉ. जयनारायण, "भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास", सेन्ट्रल एजेन्सी, इलाहाबाद, 2000**
6. **पायली, एम.वी.; "भारत का संविधानः एक परिचय", विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2004**
7. **प्रकाश, डॉ. माथुर, प्रमुख देशों का संविधान, बी.एम. माहेश्वरी, रमेश बुक डिपो, जयपुर 1971**
8. **सीकरी, एम.एल., 'भारतीय संविधान का इतिहास, एस, नगीन एण्ड कम्पनी, 1967**
9. **सिंह, माहेश्वरीः 'भारतीय लोकतंत्र समस्याएँ एवं समाधान", साहित्यकार, धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 1999**
10. **सिंह, यशपाल, "लोहे की दीवारों के दोनों और विप्लव कार्यालय", 21, शिवाजी मार्ग, लखनऊ, 1953**
11. **त्रिवेदी, आर.एन., 'भारतीय सरकार एवं राजनीति", कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2001**
12. **"लिमिट ज्यूडिशियल एक्टिविज्म', ए.के. माथुर, द इकॉनोमिक टाइम्स, 2008**
13. **"न्याय सक्रियता का मतलब विधायका व कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए", किरन बेदी, हिन्दुस्तान टाईम्स, 9 दिसम्बर, 2006**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018 **Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

14. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, मासिक पत्रिका, दृष्टि पब्लिकेशन, नई दिल्ली, जून 2022

15. https://testbook.com/hi/ias-preparation/judicial-activism